

29/4/20

Date 11/04/19

①



भूमि सुधार

Land Reformation

भूमि सुधार का तात्पर्य 'कारिश्क' भूमि' के पुनर्विस्थापन से लिया जाता है। खेती की जमीनों पर अधिकतम सीमा का निर्धारण करते किसानों और भूमिहीन मजदूरों के मतेनजर लिया गया था। विस्तृत दृष्टिकोण से देखें तो भूमि सुधार का तात्पर्य सिर्फ भूमि का पुनर्विस्थापन नहीं बल्कि भूमि सुधार और खेती सम्बन्धी संस्थाओं का विकास भी था। इसके अन्तर्गत किरायेदारी, खेती के लिए लक्ष्य, सहकारी संस्थाएँ, सामूहिक विद्यालय, मार्केटिंग और सुकाव सेवाएँ भी शामिल थी। गुन्नार मिर्डाल ने अपनी पुस्तक "A Social Dilemma" में कहा है कि भूमि सुधार और भूमि के बीच एक नियोजित और संस्थागत पुर्ण गठन है। भूमि पर माफिकाना हक और किरायेदारी के लिए कोई भी पुर्णगठन तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक इसके लिए नियोजित पॉलिसी न बनाए जाए। भूमि सुधार को सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में देखें तो इसमें महीनी-करण की भी भावश्यकता है। चूंकि आजादी के बाद कांग्रेस सरकार खेती के क्षेत्र में दृष्टान्त परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध थी। इसी लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयी जो खेती के क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों में लागू किया गया। कुछ मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं :-

1. राज्य खेतीधार के बीच से सारे विचोदियों को हटाया जाए। सारे दलालों और विचोदियों को हटाकर उनके स्थान पर सहकारिता की अवधारणा हो जिसके अपने कोई हित में न हो,

2. भूमि को रोजगार के संसाधन के रूप में विकसित किया जाए, भूमि पर जो भूमिस्वामी खेती नहीं कर रहे हैं उस खेती का अधिकार सहकारिता के माध्यम से है। इस बात के साथ ही जब वे खेती करना चाहेंगे तो उन्हें या उनके उत्तराधिकारियों को भूमि पर खेती का अधिकार वापस मिल जाएगा।



Date ___/___/___

111. जीतों का अधिकतम आकार निर्धारित होना चाहिए। इस अधिकतम सीमा से अधिक भूमि को गाँव सहकारी संस्थाओं के महयम से अधिग्रहण कर लिया जाना चाहिए।

112. दौरी जीतों को बढ़ाया जाना साथ ही उनका और अधिक दौरे होना रोका जाना चाहिए।

जब योजना आयोग के सुझाव के मुताबिक नियोजित कार्यक्रम चलाए गए तब आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों को कई सुझाव दिए गए जो इस प्रकार से हैं: भू-पट्टेदारी में सुधार 110. भू-प्रतिबन्ध 111. विचोषितों का समापन 112. जीतों की चकबन्दी 113. भूमि का व्यवस्थापन रिकॉर्ड रखना।

भूमि सुधार से सम्बन्धित अपने महत्वपूर्ण अध्ययन में पीठसी गजान्नी ने कहा कि "स्पेशियल सिसानों के हित के वजाय भूमि सुधार कार्यक्रम प्रायः बड़े दबाव समूहों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। भूमि सुधारों के फलस्वरूप गाँवों में कुछ ऐसे समूह इस प्रकार से हैं:—

1. बड़े भू-स्वामी :— सबसे ऊपर उन जमीनदारों के हित हैं जिन्होंने भूमि सुधार को अपने व्यापारिक खेती के अर्न्तगत समाहित किया है। अपनी जमीनों से किरायेदारों को हटा दिया है यह विभिन्न राज्यों में बल्ल-बल्ल तरीकों से हुआ है।

2. अमीर किसान :— जिन किसानों के पास बड़े जीतें या खेत हैं और आर्थिक रूप से भी सम्पन्न हैं। नये भूमि कानूनों के अर्न्तगत वे अपनी खेती को और मजबूत कर ली। किरायेदारी नियमों के सुधार के चलते यह वर्ग सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है।

3. दोटे किसान :— यह दोटे जीतों वाले सर्वाधिक पीछे किसानों का समूह है। भूमि-



सुधारों के बावजूद इनकी स्थिति में कोई विशेष रक नहीं आया है। भूमि पर किसानों की हक में हैं और इस मुद्दे में उनकी स्थिति में कोई रक नहीं आया। अन्त इतना है कि पहले उनका अधिकार सम्बन्ध सीधे जमींदार से या अब राज्य से है।

4. स्वैच्छा किसानों :- खेती में लगे हुए पाँच लोग और खेतिहार मजदूर, इस श्रेणी में सबसे नीचे स्वैच्छा किसानों, खेतिहार मजदूर, खेती के उपज में हिस्सा वास्तव में खेती वहीं करते हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। वे अपनी छोटी जमीनों के साथ-साथ दूसरों के जमीनों पर भी कार्य करते हैं बिना किसी लगन या स्वैच्छा के।

✓ भूमि सुधार विधायक का समाजशास्त्रीय महत्व (Land - Reform)

भूमि सम्बन्धी कानूनों में अनेक सुधार किए गए हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत एक निश्चित दिशा में भूमि सुधार किया गया है। इन सुधारों के निम्नलिखित समाजशास्त्रीय महत्व हैं :-

1. श्रमिक वर्ग का अन्त :- जमींदारी उन्मूलन से श्रमिक वर्ग का अन्त हो गया है। परंपरागत अधिकारों के कारण जमींदार स्वतंत्र हो गए थे और वे हर प्रकार के शोषण किया करते थे। जिससे सबसे अधिक आर्थिक शोषण होता था। जमींदार लोग मनमाना पैसा पसूरतों से और किसी की भी आर्थिक दृष्टि से ऊपर नहीं उठने देते थे। वे कमजोर वर्ग के लोगों को बन्धक रखते थे और उनके साथ मनमानी करते थे। इसके लिए वे साम, दाम, दण्ड, भेद इन चारों का उपयोग वे सजा के रूप में करते थे। जमींदारी उन्मूलन से उनकी अधिकार शोष दूरी गई है। अब श्रमिक वर्ग के रूप में नहीं है। अब सरकार ने बन्धक पंक्तिओं को मुक्त करवा दिया है और वैराग्यारी



प्रवा का अन्त कर दिया है इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाए गए यह समाजवाद की एक प्रगतिशील कदम है।

2. मध्यम वर्ग की हानि :- जमीनदारी अनुसूचन के कारण अब ग्रामीणों में भी अब मध्यम वर्ग की हानि हो रही है। पहले यह तो अत्यधिक अमीर जमीनदार या गरीब किसान या अब जमीनदार एक मध्यम वर्ग का किसान है अन्य सामूहिकी किसानों की भौतिक जीवन व्यतीत करता है। जिन किसानों को जमीनदार को नहीं बुलने देता था, अब कपूर उठ सकते हैं इस प्रकार मध्यम वर्ग की हानि हो रही है।

3. बैकारी का अन्त :- बैकारी उस क्रम को कहते हैं जो दबाव में बिना कोई मजदूरी दिए करवाया जाता है। जमीनदार गरीब किसानों से बहुत अधिक काम बिना पैशन के करवाते थे। अब बैकारी कानून के द्वारा समाप्त हो गयी है।

4. चिहड़े वर्गों की स्वतंत्रता का अनुभव :- चिहड़े वर्ग अर्थात् वे जाति या जाँ कोई निम्न वैशा करती थी या अनुसूचित जाति की थी उन्हें जमीनदारी के दबाव में ग्रामीणों का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। वे एक मानव के समान रह भी नहीं सकते थे उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता था। अब वे स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

5. किसानों की सुरक्षा :- अब किसानों को अनेक प्रकार की सुरक्षा है वे अपनी भूमि के स्वयं स्वामी हैं। अब इनका सम्कार से सीधा सम्बन्ध है और उन्हें कोई मध्यम वर्ग भूमि से वे देखने नहीं कर सका इनके अतिरिक्त वे सुरक्षा से भी रह सकते हैं।

(5)

Date ___/___/___



6. आर्थिक स्वतंत्रि में सुधार :- अब किसानों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। अब जमीनदारी उन्मुक्तन के कारण लघकों की आर्थिक स्वतंत्रि में भी सुधार हुआ है। किसान अधिक अनाज पैदा करवा है। अब लगाम देने के बाद भी सब कुछ उसी को रहता है। अब वह अपने धान को अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से बेच भी कर सकता है। वह पक्के मकान बना सकता है। क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई जमीनदार नहीं है।

7. नवीन सामाजिक व्यवस्था का प्रारंभ :- जमीनदारी उन्मुक्तन एवं अन्य भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों के कारण एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। यह सामाजिक व्यवस्था समानता पर आधारित है और प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और अपनी भूमि का स्वामी वह स्वयं है। अब मनोवैज्ञानिक सुधार का अनुभव सबको ही रहा है।

8. सांमत्वहित से प्रजातंत्र की और :- इन नए सुधारों के कारण सांमत्वहित की समाप्ति और प्रजातंत्र का प्रारंभ ही गया है। इसे हम समाजशास्त्रीय भाषा में प्रजातंत्र का प्रथम चरण कह सकते हैं।

Stop END